सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 11 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र 21, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 181/XXXVI(3)/2018/96(1)/2017

देहरादून, 11 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017' पर दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 14 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Mo

S.O. (M)

04/5/18 M.O.

04/5/18 SO(M)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2018)

भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए :–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 17 में संशोधन

2\. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 17(4)(क) के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी।

(क 1)– समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(क 2)– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की रिक्ति यथा स्थिति धारा 17 की उपधारा (1) (3) या धारा 18 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन भरी जायेगी।

मूल अधिनियम की धारा 19 को निरसित किया जाना

3\. मूल अधिनियम की धारा 19 एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 181/XXXVI(3)/2018/96(1)/2017
Dated Dehradun, April 11, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Agricultural Produce (Development and Regulation) (Amendment) Bill, 2017'** (Adhiniyam Sankhya 14 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 April, 2018.

The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) (Amendment) Act, 2017

(Uttarakhand Act No. 14 Year 2018)

AN

ACT

further to amend the Uttarakhand Agriculture Produce Marketing (Development and Regulation) Act 2011.

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the 68th year of Republic of India as follows:-

Short Title and commencement	1.	(1)	This Act shall be called Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) (Amendment) Act 2017.
		(2)	It shall come into force at once.
Ammendend of Section 17	2.		The following sub section shall be placed after section 17(4)(a)
		(A1)	The Chairman, Vice Chairman and the members shall function on their repective posts during the pleasure of the Governor.
		(A2)	The vacancies of the Chairman, Vice Chairman and the members shall be filled according to the provisions of sub section (1), (3) of section 17 or sub section (2) of section 18 as the case may be.
Repealed Section- 19 of the principal Act.	3.		Section 19 of the principal Act is hereby repealed.

By Order,

MEENA TIWARI,
Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2011 (अधिनियम संख्या 9, वर्ष 2011) की धारा 17 (4) (क) के पश्चात् (क 1) (क 2) का अन्तःस्थापन तथा धारा 19 का निरसन किये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधायी / 217–2018–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।